Tender

संख्याः 876 / छिहत्तर-1-2020-5सम / 2019

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक / अधिशासी निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 08 मई, 2020

विषयः राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कियान्वित पाईप पेयजल योजनाओं हेतु निविदाओं की स्वीकृति के लिए अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1733 / डब्लू-17 / 2019-20 दिनांक 06 फरवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कियान्वित पाइप पेयजल योजनाओं हेतु निविदाओं की स्वीकृति के लिए अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा कियान्वित योजनाओं हेतु निविदाओं की स्वीकृति के लिए अधिकारों के प्रतिनिधायन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :-

(1) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निविदाओं की स्वीकृति हेतु ₹ 01.00 करोड़ तक की निविदा स्वीकृति का अधिकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अभियन्ता में प्रतिनिधानित किया जाता है।

(2) ₹ 01 करोड़ से अधिक एवं ₹ 10.00 करोड़ तक की निविदा स्वीकृति का अधिकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मुख्य अभियन्ता में प्रतिनिधानित किया जाता है।

(3) ₹ 10.00 करोड़ से अधिक एवं ₹ 25.00 करोड तक की निविदा स्वीकृति का अधिकार मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्रतिनिधानित किया जाता है।

(4) ₹25.00 करोड़ से ऊपर की सभी परियोजनाओं की निविदाओं की स्वीकृति हेतु निविदाओं के मूल्यांकन (इवैल्यूएशन) के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य सचिव

D:\2020-2021\...docx

(i) समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य को भी समिति में सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा।

(ii) उपर्युक्तानुसार गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

4— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सन्दर्भित प्रकरण में उपर्युक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध रूप से शीर्ष प्राथमिकता पर कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 876 (1)/छिहत्तर–1–2020–5सम/2019, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/न्याय/नियोजन/पंचायतीराज/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल/झांसी/चित्रकूटधाम मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग–1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या–4/2/11/2020 – सी0एक्स0 (1) दिनांक 06 मई, 2020 के कम में।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

D:\2020\GO-2020.docx